रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2016/ज्येष्ठ 6, 1938
No. 374] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2016/JYAISTHA 6, 1938

शहरी विकास मंत्रालय
(मुद्रण निदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

सा.का.नि. 556 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मुद्रणालय प्रबंधक (फोटोलिथो/वर्क्स प्रबंधक (फोटोलिथो), प्रौद्योगिकीविद, (प्रक्रिया) तथा प्रौद्योगिकीविद (मुद्रण तथा जिल्दसाजी) भर्ती नियम, 1983, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, में समूह 'ख' के कुछ पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखाएं, (प्रक्रिया) तथा प्रौद्योगिकीविद (मुद्रण तथा जिल्दसाजी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए विनिश्चयों आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रौद्योगिकीविद् (प्रक्रिया)	2* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित गैर–अननुसचिवीय	वेतन–बैंड – 2 9,300–34,800रू + ग्रेड वेतन 4600 रू0	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है।) **टिप्पण** :– आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अण्डमान एवं	**अनिवार्य** : (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री या समकक्ष । (ii) इमेजसेटर का कार्य देखने का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें कंप्यूटर पर इनडिजाइन साफ्टवेयर में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव शामिल है इसमें से एक वर्ष का अनुभव किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सरकारी पॉलीटैक्नीक/आईटीआई/मान्यताप्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में होना चाहिए, तथा (iii) किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में विभिन्न पद्धतियों से प्लेटें तैयार करने और सीपीटी मशीनों के प्रचालन, रंगों को अलग करने तथा कार्य को गति से करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **वांछनीय** : किसी सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सरकारी पॉलीटैक्नीक/आईटीआई/मान्यताप्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान विभाग में कलर स्कैनर के साथ आधुनिक रंग सुधार तकनीकों में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । टिप्पण 1 :– अन्यथा पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है।

					निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं)।	टिप्पण 2 :– संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यार्थियों की दशा में लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) में शिथिलता दी जा सकती है (हैं) यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा। **नोटः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए चले जाने के कारण हुई रिक्ति को सदृश पदधारी तथा कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिणिक अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसकें अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	लागू नहीं	पदोन्नति के लिए समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति संयुक्त सचिव, प्रभारी, मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन प्रभाग ––अध्यक्ष (2) निदेशक मुद्रण ––सदस्य (3) संयुक्त निदेशक(प्रशासन), मुद्रण निदेशालय ––सदस्य	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रौद्योगिकीविद् (मुद्रण तथा जिल्दसाजी)	2* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित गैर–अननुसचिवीय	वेतन–बैंड – 2 9,300–34,800रू + ग्रेड वेतन 4600 रू0	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में	**अनिवार्य** : (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री या समकक्ष । (ii) दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें एक वर्ष का अनुभव एकल/बहु रंगी ऑफसेट मुद्रण मशीनों के

					सरकारी कर्मचारियों को पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है।) **टिप्पण** :– आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं)।	पर्यवेक्षण का होना चाहिए जिसमें इकाईयों को सुधारना भी शामिल है या किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सरकारी पॉलीटैक्नीक/आईटीआई/मान्यताप्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में मुद्रण प्रौद्योगिकी में अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव, तथा (iii) किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/ सरकारी पॉलीटैक्नीक/आईटीआई/मान्यताप्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न कोलाइड या सीटीपी मशीनों पर प्लेटें तैयार करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **वांछनीय** : यांत्रिक समस्याओं को देखने का एक वर्ष का अनुभव तथा कार्य से संबंधित निवारक रखरखाव प्रणाली की जानकारी । **टिप्पण 1 :–** अन्यथा पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। **टिप्पण 2 :–** संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यार्थियों की दशा में लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) में शिथिलता दी जा सकती है (हैं) यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा। **नोटः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए चले जाने के कारण हुई रिक्ति को सदृश पदधारी तथा कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिणिक अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के	लागू नहीं	पदोन्नति के लिए समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (1) संयुक्त सचिव, प्रभारी, मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय ––अध्यक्ष (2) निदेशक मुद्रण ––सदस्य	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है ।

		अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसकें अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		(3) संयुक्त निदेशक(प्रशासन), मुद्रण निदेशालय ——सदस्य	

[एफ. सं. ए—11012/2/2013—ए II]

एन के जोशी, उप निदेशक

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF PRINTING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2016

G.S.R. 556(E).—In exercises of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Government of India Presses Manager (Photolitho)/ Works Manager (Photolitho), Technologist (Process) and Technologist (Printing and Binding) Recruitment Rules 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules regulating the method of Recruitment to certain Group ‘B’ posts in the Directorate of Printing, Ministry of Urban Development, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Government of India Presses and Branches, Technologists (Process) and Technologist (Printing and Binding) Group ‘B’ posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale. - The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Technologist (Process)	2* 2015 *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	PB-2: Rs. 9,300-34,800 plus grade pay Rs. 4,600/-	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicober Islands	**Essential :** (i). Degree in Printing Technology from a recognized University/Institute, (ii) Two years practical experience in handling image setters including practical experience of working in computer with Indesign software out of which one year experience shall be in teaching Printing Technology in any Govt./PSU/Autonomous body/recognized research institute/ Govt. Polytechnics/ITI/recognized vocational training institute, and (iii) One year practical experience of preparing plates with different methods and of operating CTP machines, colour separation and work flow in a Govt. Department/Autonomous/Statutory Body or in any recognized institution. **Desirable:** One year practical experience in modern colour correction techniques with colour scanners in any Govt. Department/PSU/Autonomous Body/recognized research institute/Govt. Polytechnic/ITI/recognized vocational training Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates

					or Lakshadweep).	belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years for direct recruits.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post and possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits, under column 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (i) Joint Secretary in charge of Printing, Stationery and Publication Division, Ministry of Urban Development - Chairman; (ii) Director (Printing) - Member, (iii) Joint Director (Administration), Directorate of Printing - Member	Consultation with the Union Public Service necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6	7
Technologist (Printing and Binding)	2 * 2015 *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	PB-2: Rs. 9,300-34,800 plus grade pay Rs. 4,600/-	Not applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servant up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicober Islands or Lakshadweep).	**Essential :** (i) Degree in Printing Technology from a recognized University/Institute, (ii) Two years' practical experience including one year as a supervisor in handling single/multi-colour offset printing machines including perfecting units or two years' teaching experience in Printing Technology in a Govt. Department or PSU/Autonomous body/recognized research institute/ Govt. Polytechnics/ITI/recognized vocational training institute and (iii) One year practical experience of preparing plates with different colloids or of operating CTP machines in a Govt. Department or PSU or Autonomous Body or in a recognized research institute/Govt. Polytechnics/ITI/recognized vocational training institutes. **Desirable**: (i) One year experience of attending to mechanical problems and acquaintance with the preventive maintenance system pertaining to the job. (ii) One year experience of handling modern binding equipments. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient

						number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post and possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (i) Joint Secretary in charge of Printing, Stationery and Publication Division, Ministry of Urban Development - Chairman; (ii) Director (Printing) - Member, (iii) Joint Director (Administration), Directorate of Printing - Member	Consultation with the Union Public Service necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-11012/02/2013-A.II]

N. K. JOSHI, Dy. Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.